कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने मु0अ0सं0–123/21, धारा–302, 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आशीष सिंह को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आशीष सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह नि0 ग्राम बलुहा तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0–123/21, धारा–302, 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

प्र0नि0 नवाबगंज राजेश कुमार सिंह मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0–127/21, धारा–304 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हरिपाल को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 24.04.2021 को नशे की हालत में आपसी–विवाद के चलते अपने भाई को कुल्हाड़ी मार दिया था। जिससे उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. हरिपाल पुत्र भिखार नि0 महरागौरा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0–127/21, धारा–304 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद आलाकत्ल कुल्हाड़ी।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

व0उ0नि0 सुरेशमणि मिश्र मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.04.2021

चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की गयी शतप्रतिशत धनराशि बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 26.04.2021 को वादी मो0 इजराइल पुत्र सुभानतारी नि0 परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी मोटरसाईकिल की डिग्गी में रखे रू0 59,000/– अज्ञात लोगो द्वारा डिग्गी तोडकर चुरा लिये गये। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक को तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर चोरो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये थे जिसके अनुक्रम में इटियाथोक पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों–01. धनीराम पुत्र रामराज, 02. रामबहादुर पुत्र रामप्रकाश को जगदीशपुर बृन्दावन नहर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया शतप्रतिशत रू0 59,000/– व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जो जनपद गोण्डा व आस–पास के जनपदों में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रामबहादुर पुत्र रामप्रकाश नि0 वैश्यपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. धनीराम पुत्र रामराज नि0 बैजू लोनियनपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–136/21, धारा–379,411 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अभियुक्त रामबहादुर का अपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–890/17 धारा 392 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती।
02. मु0अं0सं0–938/17 धारा 392 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती।
03. मु0अं0सं0–943/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हरैया जनपद बस्ती।
04. मु0अं0सं0–992/17 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना हरैया जनपद बस्ती।
05. मु0अं0सं0–941/17 धारा 41,411 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती।

अभियुक्त धनीराम का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अं0सं0–300/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. रू0 59,000/– नगद।
02. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दूबे थाना इटियाथोक मय टीम।